"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 अक्टूबर 2015—आश्विन 24, शक 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, जैनब फातिमा पति श्री मोहम्मद हसन कमाल, उम्र 28 वर्ष, निवासी मोवा, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) की हूं. यह कि विवाह पूर्व मेरा नाम कु. अर्चना यादव पिता श्री भागीरथी यादव निवासी आमासिवनी रायपुर (छ. ग.) था तथा इसी नाम से जानी पहचानी जाती थी. मेरा विवाह मोहम्मद हसन कमाल पिता मोहम्मद रियाजुद्दीन निवासी मोवा रायपुर के साथ दिनांक 08-01-2015 को सम्पन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम जैनब फातिमा रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे जैनब फातिमा पति श्री मोहम्मद हसन कमाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
कु. अर्चना यादव पिता श्री भागीरथी यादव निवासी- आमासिवनी, विधान सभा रोड, रायपुर (छ. ग.)	जैनब फातिमा पति श्री मोहम्मद हसन कमाल निवासी- अमन नगर, अशोका हाईट के पीछे, उत्तम प्रोविजन के पास मोवा, रायपुर (छ. ग.) पिन नं. 492007

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, INDRAMAN SINGH पिता श्री BALI RAM, उम्र 47 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 8/ F, स्ट्रीट नं. 82, सेक्टर 6, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे 10वीं बोर्ड परीक्षा वर्ष 1987 में माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी रोल नं. 762256 मार्कशीट नं. 3842231 में मेरा नाम Inderman Singh S/o Shri Bali Ram दर्ज है तथा यही नाम मेरे सर्विस रिकार्ड में दर्ज है जिसमें स्पेलिंग त्रुटि है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम Indraman Singh रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे Indraman Singh S/o Shri Bali Ram के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

INDERMAN SINGH
पिता श्री BALI RAM
निवासी-क्वा. नं. 8/ F, स्ट्रीट नं. 82,
सेक्टर 6, भिलाई नगर
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

INDRAMAN SINGH
पिता श्री BALI RAM
निवासी-क्वा. नं. 8/ F, स्ट्रीट नं. 82,
सेक्टर 6, भिलाई नगर
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, देवब्रत चौधरी DEVBRAT CHOUDHARY पिता श्री खीर मोहन चौधरी, उम्र 32 वर्ष, निवासी 58/12, "नंदा निवास" नेहरू नगर (ईस्ट), भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे स्कूली दस्तावेजों में मेरा नाम (देवब्रत्त चौधरी) Deobratt Choudhary दर्ज है जो त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम (देवब्रत चौधरी) Devbrat Choudhary रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे (देवब्रत चौधरी) Devbrat Choudhary पिता श्री के. एम. चौधरी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(देवब्रत्त चौधरी)
DEOBRATT CHOUDHARY
पिता- Mr. K. M. CHOUDHARY
निवासी- 58/12, Nanda Niwas, Nehrunagar (East)
Bhilai, Durg (C.G.)
Pin 490022

नया नाम

(देवब्रत चौधरी)
DEVBRAT CHOUDHARY
पिता- Mr. K. M. CHOUDHARY
निवासी- 58/12, Nanda Niwas, Nehrunagar (East)
Bhilai, Durg (C.G.)
Pin 490022

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, जितेन्द्र कुमार साहू (Jitendra Kumar Sahu) पिता श्री घनसू राम साहू (Ghansu Ram Sahu), उम्र 43 वर्ष, निवासी-151, कृष्णा टॉकिज के पीछे, प्रगति नगर, रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे पैन कार्ड, स्कूल दस्तावेज, ड्रायविंग लायसेंस एवं भिलाई इस्पात संयंत्र के मेरे विभागीय दस्तावेज में मेरा नाम जितेन्द्र कुमार, पिता श्री जी. आर. साहू दर्ज है. मैं अपने नाम के साथ उपनाम साहू जोड़कर अपना नया नाम जितेन्द्र कुमार साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे जितेन्द्र कुमार साहू पिता श्री घनसू राम साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

जितेन्द्र कुमार
पिता-श्री जी. आर. साहू
निवासी-151, कृष्णा टॉकिज के पीछे,
प्रगति नगर, रिसाली, भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

जितेन्द्र कुमार साहू
पिता-श्री घनसू राम साहू
निवासी-151, कृष्णा टॉकिज के पीछे,
प्रगति नगर, रिसाली, भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, विरेन्द्र कुमार पिता स्व. श्री प्रहलाद, जाति गोंड, उम्र 43 वर्ष, निवासी क्वा. नं. एल. आई. जी. 40, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद नगर, फेस-02, कोरबा, तहसील व जिला कोरबा (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे कक्षा दसवीं तक की स्कूल सर्टिफिकेट, पेनकार्ड, डिप्लोमा एवं सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम विरेन्द्र कुमार पिता श्री प्रहलाद दर्ज है एवं मेरे कक्षा 12वीं के स्कूल सर्टिफिकेट, बी. ए., एम. ए., एल. एल. बी. की अंक सूची में मेरा नाम विरेन्द्र कुमार उईके पिता श्री प्रहलाद उईके दर्ज है तथा मेरे मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र में मेरा नाम विरेन्द्र कुमार कोर्राम पिता श्री प्रहलाद कोर्राम दर्ज है. मैं अपने उपनाम 'उईके'को परिवर्तित कर नया नाम विरेन्द्र कुमार कोर्राम रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे विरेन्द्र कुमार कोर्राम पिता स्व. प्रहलाद कोर्राम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

विरेन्द्र कुमार पिता प्रहलाद
विरेन्द्र कुमार उईके
पिता-प्रहलाद उईके
निवासी-एल. आई. जी.-40,
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद नगर, फेस-02, कोरबा
तहसील व जिला कोरबा (छ. ग.)
मो. नं. 9425664511

नया नाम

विरेन्द्र कुमार कोर्राम
पिता-स्व. प्रहलाद कोर्राम
निवासी-एल. आई. जी.-40,
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद नगर, फेस-02, कोरबा
तहसील व जिला कोरबा (छ. ग.)
मो. नं. 9425664511

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, आनन्द प्रताप राने पिता दूधमोंगरे श्री प्रताप राने, उम्र 36 वर्ष, निवासी-32/96, जल विहार कालोनी, रायपुर, पो. रविग्राम, थाना तेलीबांधा रायपुर, मदर टेरेसा वार्ड क्रमांक 43, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शासकीय अथवा अर्धशासकीय प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों में मेरा नाम आनन्द प्रताप दूधमोंगरे पिता श्री प्रताप लाल दूधमोंगरे अंकित है तथा इसी नाम से जाना पहचाना जाता था. मैं अपने उपनाम "दूधमोंगरे" को परिवर्तित कर अपना नया नाम आनन्द प्रताप राने रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे आनन्द प्रताप राने पिता दूधमोंगरे श्री प्रताप राने के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

आनन्द प्रताप दूधमोंगरे
पिता-दूधमोंगरे श्री प्रताप राने
निवासी-जल विहार कालोनी रायपुर,
मदर टेरेसा वार्ड क्रमांक 43,
पो. रविग्राम, थाना तेलीबांधा रायपुर
तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.)

नया नाम

आनन्द प्रताप राने
पिता-दूधमोंगरे श्री प्रताप राने
निवासी-जल विहार कालोनी रायपुर,
मदर टेरेसा वार्ड क्रमांक 43,
पो. रविग्राम, थाना तेलीबांधा रायपुर
तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रेमानंद प्रताप राने पिता दूधमोंगरे श्री प्रताप राने, उम्र 32 वर्ष, निवासी-32/96, जल विहार कालोनी, रायपुर, पो. रविग्राम, थाना तेलीबांधा रायपुर, मदर टेरेसा वार्ड क्रमांक 43, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शासकीय अथवा अर्धशासकीय प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों में मेरा नाम प्रेमानंद प्रताप दूधमोंगेरे पिता श्री प्रताप लाल दूधमोंगरे अंकित है तथा इसी नाम से जाना पहचाना जाता था. मैं अपने उपनाम "दूधमोंगरे" को परिवर्तित कर अपना नया नाम प्रेमानंद प्रताप राने रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे प्रेमानंद प्रताप राने पिता दूधमोंगरे श्री प्रताप राने के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

प्रेमानंद प्रताप दूधमोंगरे
पिता-दूधमोंगरे श्री प्रताप राने
निवासी-जल विहार कालोनी रायपुर,
मदर टेरेसा वार्ड क्रमांक 43,
पो. रविग्राम, थाना तेलीबांधा रायपुर
तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.)

नया नाम

प्रेमानंद प्रताप राने
पिता-दूधमोंगरे श्री प्रताप राने
निवासी-जल विहार कालोनी रायपुर,
मदर टेरेसा वार्ड क्रमांक 43,
पो. रविग्राम, थाना तेलीबांधा रायपुर
तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, हेमानंद प्रताप राने पिता दूधमोंगरे श्री प्रताप राने, उम्र 30 वर्ष, निवासी-32/96, जल विहार कालोनी, रायपुर, पो. रविग्राम, थाना तेलीबांधा रायपुर, मदर टेरेसा वार्ड क्रमांक 43, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शासकीय अथवा अर्धशासकीय प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेंजों में मेरा नाम हेमानंद प्रताप दूधमोंगेरे पिता श्री प्रताप लाल दूधमोंगरे अंकित है तथा इसी नाम से जाना पहचाना जाता था. मैं अपने उपनाम "दूधमोंगरे"को परिवर्तित कर अपना नया नाम हेमानंद प्रताप राने रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे हेमानंद प्रताप राने पिता दूधमोंगरे श्री प्रताप राने के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

हेमानंद प्रताप दूधमोंगरे
पिता-दूधमोंगरे श्री प्रताप राने
निवासी-जल विहार कालोनी रायपुर,
मदर टेरेसा वार्ड क्रमांक 43,
पो. रविग्राम, थाना तेलीबांधा रायपुर
तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.)

नया नाम

हेमानंद प्रताप राने
पिता-दूधमोंगरे श्री प्रताप राने
निवासी-जल विहार कालोनी रायपुर,
मदर टेरेसा वार्ड क्रमांक 43,
पो. रविग्राम, थाना तेलीबांधा रायपुर
तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं लोक न्यास पंजीयन अधिकारी, खैरागढ़ जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

खैरागढ़, दिनांक 17 सितम्बर 2015

क्रमांक/1789/प्र-1/अ.वि.अ./2015.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि आवेदक सदगुरू कबीर पारख सेवा संस्थान पिपरिया, खैरागढ़ जिला-राजनांदगांव की ओर से अध्यक्ष तिलक राम वर्मा, सचिव बंशीलाल, कोषाध्यक्ष याददास वर्मा द्वारा सदगुरू कबीर पारख सेवा संस्थान पिपरिया तहसील खैरागढ़ की अचल संपत्ति जो प्राप्त हुई है (ग्राम पिपरिया ख. नं. 1312/2 रकबा 0.26 एकड) का खसरा, नक्शा एवं सहमति पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत कर संस्था का लोक न्याय के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन पेश किया है.

अतएव सदगुरू कबीर पारख संस्था लोक न्याय के रूप में पंजीयन किये जाने में किसी को भी किसी प्रकार की आपत्ति हो तो अपना आक्षेप ईश्तहार प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं, बाद में प्राप्त आक्षेपों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 17-09-2015 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुहर से जारी.

पी. एस. ध्रुव,
अनुविभागीय अधिकारी
एवं पंजीयन अधिकारी .

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला-बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2015

क्रमांक /परि./2015/3016 .—भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा एवं सुविधा सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर, विकासखण्ड बिल्हा, पं. क्र. 07 दिनांक 26-02-1998, जिला बिलासपुर को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2015/1919 दिनांक 04-07-2015 के द्वारा दिया गया था. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आयोजित दिनांक को 12-09-2015 को आमसभा में पारित निर्णय के अनुसार संस्था में केवल तीन सदस्यों की उपस्थिति एवं उनके द्वारा संस्था के कार्य संचालन में अक्षम होना बताया गया है तथा समिति को बंद करने का निर्णय लिया गया है.

अतः मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा एवं सुविधा सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर, विकासखण्ड बिल्हा, पं. क्र. 07 दिनांक 26-02-1998, जिला बिलासपुर को, परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री श्रीकांत शुक्ला, उप अंकेक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

बिलासपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2015

क्रमांक /परि./2015/3072 .—श्रद्धा किरण महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. अमेरी, विकासखण्ड तखतपुर, पं. क्र.287 दिनांक 28-05-2010, जिला बिलासपुर को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2015/1378 दिनांक 20-05-2015 के द्वारा दिया गया था. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार संस्था के सदस्य कार्य के प्रति रूचि नहीं ले रहे हैं संस्था के सदस्यों के पास कोई भावी कार्ययोजना नहीं है.

अतः मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत श्रद्धा किरण महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. अमेरी, विकासखण्ड तखतपुर, पं. क्र.287 दिनांक 28-05-2010, जिला बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्रीमती पल्लवी मेश्राम, उप अंकेक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

डी. आर. ठाकुर,
उप पंजीयक.

कार्यालय, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, नारायणपुर

नारायणपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2015

[छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (1)]

क्रमांक /परि./स. पं. नाम./2015/419.—परिसमापनाधीन युवा शिक्षित बेरोजगार सहकारी समिति मर्यादित नारायणपुर (छ. ग.) पंजीयन क्रमांक/ए. आर./बी. टी. आर./478 दिनांक 23-06-2003 की अंतिम प्रतिवेदन परिसमापक श्री पी. एस. ध्रुव, उप-अंकेक्षक द्वारा कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं नारायणपुर में प्रस्तुत किया गया. प्रतिवेदन में संलग्न युवा शिक्षित बेरोजगार सहकारी समिति मर्यादित नारायणपुर (छ. ग.) का अंतिम स्थिति विवरण पत्रक के अनुसार समिति के कार्य का परिसमापन कर दिया गया है. आज दिनांक 09-2015 को देनदारी एवं लेनदारी शून्य है.

अतः मैं एस. एन. बघेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, नारायणपुर छ. ग. शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के सरल क्रमांक 51 के द्वारा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (1) के तहत् प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए युवा शिक्षित बेरोजगार सहकारी समिति मर्यादित नारायणपुर (छ. ग.) को रद्द करने का आदेश पारित करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 14-09-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

एस. एन. बघेल,
सहायक पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.